

कार्यालय क्षेत्र संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व, मण्डला (म.प्र.)

Ph. No. 07642-250760, Fax. No. 07642-251266

E-mail: fdknp.mdl@mp.gov.in ,

क्रमांक/पी.टी./ 2805

मण्डला, दिनांक / 03/09/2021


अखिल भारतीय बाघ गणना-2022 में
डाटा कलेक्शन में भाग लेने हेतु इच्छुक स्वयंसेवकों के लिए सामान्य सूचना

अखिल भारतीय बाघ गणना-2022 के अंतर्गत कान्हा टायगर रिजर्व (फेस-1) में डेटा कलेक्शन कार्य 19 से 25 अक्टूबर, 2021 में सम्पादित किया जाना है। भारत के नागरिक जो 18 वर्ष या अधिक आयु के हैं तथा वन्यप्राणी आंकलन कार्य के अंतर्गत डेटा कलेक्शन कार्य में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्तियों/अशासकीय, निजी स्वयंसेवक, वन्यप्राणी अवलोककों, महाविद्यालय के छात्र/शिक्षकों (वॉलियंटर) का इस विज्ञप्ति के माध्यम से आव्हन किया जाता है एवं डेटा कलेक्शन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आमंत्रित करता है। कान्हा टायगर रिजर्व में डाटा कलेक्शन कार्य उपरोक्त 7 दिवस में किया जाना है। इस कार्य हेतु लगभग 35 संख्या में स्वयंसेवक शामिल किये जाएंगे। चयनित स्वयंसेवकों को सूचना ई-मेल अथवा दूरभाष के माध्यम से दे दी जावेगी। मात्र अन्तिम चयनित प्रतिभागी को ही इस गणना में भाग लेने की अनुमति होगी।

इच्छुक स्वयं सेवकों हेतु निम्न तथ्यों को जानना महत्वपूर्ण है :

1. स्वयंसेवकों को वन क्षेत्रों की विपरीत परिस्थितियों में न्यूनतम 6 दिवसों तक निरंतर मुकाम करने एवं आंकलन कार्य के दौरान दुर्गम वन क्षेत्रों में प्रतिदिन लगभग 10 कि.मी. पैदल चलने हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होना अनिवार्य होगा।
2. इच्छुक आवेदक आवेदन प्रारूप में कार्यालय क्षेत्र संचालक, कान्हा टायगर रिजर्व को ईमेल fdknp.mdl@mp.gov.in अथवा डाक द्वारा दिनांक 30/09/2021 के पूर्व आवेदन कर सकते हैं।
3. आवेदन करते समय आवेदन पत्र में दर्ज प्रमाण पत्र आदि स्वयंसेवकों के लिए नियम के पत्र एवं हानिरक्षा बंधन पत्र पर हस्ताक्षर उपरांत करेंगे।
4. अपूर्ण तथा समस्त दस्तावेजों के साथ न भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. स्वयंसेवको को उनके निवास स्थल से उनको आवंटित केम्प तक एवं लौटने का परिवहन व्यय स्वयं वहन करना होगा तथा आंकलन अवधि में भोजन आदि का व्यय भी स्वयं वहन करना होगा।
6. आंकलन अवधि में स्वयंसेवकों को आवंटित बीट में स्थानीय वनकर्मियों के साथ उनके आवास में ही ठहरना होगा तथा स्वयंसेवक को अपना स्लीपिंग बेग/बेडरोल स्वयं लाना होगा।
7. आंकलन कार्य की प्रारंभिक तिथि से 2 दिवस पूर्व स्थान - खटिया ईको-सेंटर, कान्हा टायगर रिजर्व में पहुंचकर स्थानीय अधिकारियों को अपने आगमन की सूचना देनी होगी।

8. आंकलन से एक दिवस पूर्व आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा तत्पश्चात् वे अगले 6 दिवस तक निरंतर उन्हें आवंटित बीट में रहकर आंकलन कार्य में भाग लेंगे और अगले दिवस पर लौट सकेंगे।
9. आंकलन कार्य के दौरान प्रत्येक स्वयंसेवक को आवंटित बीट में रहना होगा अतः कुछ स्वयंसेवक दो या अधिक व्यक्तियों के दल में आएंगे तो भी उन्हें आंकलन अवधि में अलग-अलग कैम्पों ही भेजा जाएगा तथा किस स्वयंसेक को कौनसी बीट आवंटित करना है, यह निर्णय स्थानीय अधिकारियों का होगा एवं कोई स्वयंसेवक अपनी इच्छानुसार अन्य बीटों में नहीं जा सकेंगे।
10. स्वयंसेवकों को स्थानीय अधिकारियों/वन कर्मियों के द्वारा दिये गये समस्त निर्देशों का पालन करना होगा।


क्षेत्र संचालक
कान्हा टायगर रिजर्व
मंडला (म.प्र.)

बाघ एवं अन्य वन्यप्राणी आंकलन 2022 में सम्मिलित होने वाले स्वयंसेवकों हेतु हानि रक्षा बंधन पत्र.

**Indemnity Bond Form for the Volunteers Participation in
All India Tiger and other wild animals Estimation 2022**

**कान्हा टायगर रिजर्व, मंडला (म.प्र.)
Kanha Tiger Reserve, Mandla (MP)**

1- मैंउम्र निवासी
.....स्वेच्छा से वन्यप्राणी आंकलन 2022 में स्वयंसेवक के रूप में भाग लेना चाहता/चाहती हूँ। इस फॉर्म के साथ संलग्न पृष्ठ पर दर्ज समस्त नियमों को मेरे द्वारा पढ़कर समझ लिया गया है। मैं इनका पालन करने का वचन देता/देती हूँ। मुझे यह ज्ञात है कि इन नियमों तथा वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित) एवं उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता/करती हूँ तो मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

1. I _____ age _____ resident of _____
_____ am willing to participate in
All India Tiger and other wild animals Estimation 2022. I have read and understood all the rules mentioned in the attached form and assure to abide by them. I am aware of the fact that if I violate any provisions of the rules and the Wildlife (Protection) Act, 1972, (Read the subsequent amendments) or rules under the act, I am liable for legal action.

2. मैं वन क्षेत्र में हो सकने वाले सभी संभावित खतरों जैसे दुर्घटनाएं, आग एवं वन्यप्राणियों द्वारा हमला आदि से अवगत होते हुए अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर वन क्षेत्र में वन्यप्राणी आंकलन हेतु प्रवेश कर रहा/रही हूँ।

2- I am well aware about all the possible dangers like accident, fire, wild animal attack etc. and I am entering the forest at my own risk for wildlife estimation.

3- मैं दिवसीय प्रवास के दौरान (..... सेतक) की अवधि में मेरे साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर मध्य प्रदेश वन विभाग एवं उसके समस्त अधिकारी/कर्मचारी को किसी भी तरह के मुआवजा या क्षतिपूर्ति देने से मुक्त करता/ करती हूँ।

3- I hereby Indemnity Madhya Pradesh Forest Department and its officials against any claims of compensation in the event of any accident or mishaps during my.....days stay (fromto).

स्थान Place :
दिनांक Date :

स्वयंसेवक के हस्ता- Signature of Volunteer
पूर्ण पता-Complete Address : -----

Mobile No. :
E-mail ID :
ID details
(please attach a photocopy of the same)

RULES FOR VOLUNTEER

1. The volunteer should not enter the Tiger Reserve/ Forest unauthorised.
स्वयंसेवक बिना वैध अनुमति के टाइगर रिजर्व/वन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।
2. The volunteer should not enter the tiger reserve/forest with any kind of weapon.
स्वयंसेवक किसी भी प्रकार का हथियार लेकर टाइगर रिजर्व/ वनक्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।
3. The volunteer should not carry or use any cigarettes, e-cigarettes, alcohol or inflammable lighting materials (fire match-crackers, match box, lighters, Zippos). He/she will not light/kindle any fire in the tiger reserve/forest.
स्वयंसेवक टाइगर रिजर्व/वनक्षेत्र में सिगरेट, ई-सिगरेट, मदिरा, ज्वलनशील सामग्री (जैसे पटाखा माचिस, फटाके, लाइटर आदि) लेकर प्रवेश अथवा उपयोग भी नहीं करेगा।
4. The volunteer should not play any musical instrument, or carry head phones, earphones, or mobile phones during the wildlife estimation.
स्वयंसेवक किसी भी प्रकार का संगीत उपकरण, हेडफोन, इयरफोन एवं मोबाइल फोन आदि का उपयोग वन्यप्राणी आंकलन के दौरान नहीं करेंगे।
5. The volunteer should not disturb or remove any materials including plants, grass, stones, animals and animal products from the Tiger Reserve/Forest.
स्वयंसेवक पेड़-पौधों, घास, पत्थर, वन्यप्राणी एवं वन्यप्राणियों के अवयवों सहित टाइगर रिजर्व/वन क्षेत्र की किसी सामग्री को न ही उसके स्थान से हटाएगा और न ही उन्हें छेड़ेगा।
6. The volunteer is not allowed to carry cameras, videography devices or any other photography devices during the data collection exercise.
स्वयंसेवक को टाइगर रिजर्व/ वनक्षेत्र में कैमरा, वीडियोग्राफी उपकरण और अन्य फोटोग्राफी उपकरणों को वन्यप्राणी आंकलन डाटा कलेक्शन के दौरान साथ रखने की अनुमति नहीं होगी।
7. The volunteer is bound to follow any instructions given by forest officials and expected to be in discipline.
स्वयंसेवक वन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेगा एवं अनुशासन में रहेगा।
8. The volunteers are expected to stay in the allotted camp as directed by the Forest officials. The volunteers are supposed to carry their own sleeping bags and they have to stay with minimal basic amenities in the camp.
स्वयंसेवक से अपेक्षा होगी कि वह वन अधिकारियों द्वारा निर्धारित कैम्प में निवास करें। स्वयंसेवकों को अपना स्लीपिंग बेग स्वयं लाना होगा तथा कैम्प में अत्यंत न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं के साथ रहना होगा।
9. In each beat only one volunteer will be allotted. So in each camp only one volunteer stay with forest staff.
प्रत्येक बीट में केवल एक स्वयंसेवक ही आवंटित किया जाएगा। अतः प्रत्येक कैम्प में वनकर्मियों के साथ केवल एक वॉलेन्टियर ही रहेगा।
10. The volunteer is expected to stay within the camp premises and shall not move outside without the local staff.
स्वयंसेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कैम्प क्षेत्र में ही निवास करेगा एवं वनकर्मियों की अनुमति के बिना बाहर नहीं जाएगा।
11. In addition to above rules, the Chief Wildlife Warden or the officer in-charge of the protected area/ territorial division can impose additional condition at any time.
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक या संरक्षित क्षेत्र/क्षेत्रीय वनमंडल के भारसाधक अधिकारी उपरोक्त शर्तों के अलावा अन्य शर्तें भी अधिरोपित कर सकते हैं।
12. The Forest Department/Tiger Reserve management have complete authority to debar any volunteer in an event of misbehaviour/ misconduct.
वन विभाग/ संरक्षित क्षेत्र/क्षेत्रीय वनमंडल प्रबंधन को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी भी स्वयंसेवक को कदाचित दुराचरण अथवा दुर्व्यवहार करने पर बाघ आंकलन प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है।

स्थान Place-

दिनांक Date-

हस्ताक्षर Signature -----

नाम Name -----